राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15 / 2024

प्रार्थी–

1. श्री हरजीराम पुत्र होतीराम
2. श्री हेमाराम पुत्र होतीराम
3. श्री करनाराम पुत्र लिखमाराम
4. श्री सांवलराम पुत्र गुमनाराम जातियान देवासी, निवासीयान सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालोतरा।
3. श्रीमती मंजुदेवी पत्नी हडमानाराम जाति दर्जी, निवासी सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 97 दिनांक 06.03.2018 जो अप्रार्थी सं. 03 के नाम ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री देविसिंह महेचा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2025

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा जारी पट्टा संख्या 97 दिनांक 06.03.2018 के विरूद्ध दिनांक 19.11.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिणली जागीर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 97 दिनांक 06.03.2018 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 293.33 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उत्तर में गीतादेवी/केसाराम दर्जी व 110 फीट, दक्षिण में वदामीदेवी/ वंशीलाल दर्जी व 110 फीट, पूर्व में रास्ता व 24 फीट, पश्चिम में मोहम्ताराम/सकाराम व 24 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिणली जागीर से निगरानीधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 सांबरानी, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर एवं अप्रार्थी संख्या 4 सांचौर के मूल निवासी है। आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार लेना देना नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जासुदा होना बताया, लेकिन इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा स्वामित्व की पुष्ठि हेतु किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के विरूद्ध अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत पंचायत समिति के समक्ष किये जाने का प्रावधान है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा के समक्ष पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा लंबे समय बाद बिना किसी आधार के निगरानी पेश की है, जो कि म्याद बाहर पेश की है। इस प्रकार उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार वीहिन एवं म्याद बाहर पेश होने से प्रार्थीगण द्वारा पेश निगरानी खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा सिणली जागीर, तहसील पचपदरा की आबादी भूमि पर आया हुआ है, जिनका वार्ड संख्या 4, खसरा संख्या 190 है। जिनका पड़ौस बदिशा उतर में रोड़, बदिशा दक्षिण में हकमाराम पुत्र सांवलाराम सुथार, पूर्व में रास्ता तथा पश्चिम में मोमताराम पुत्र सकाराम प्रजापत का भूखण्ड आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण एवं उनके पिता/दादा का परिवार निरंतर कब्जा व उपयोग उपभोग किया जा रहा था एवं चारो तरफ कांटो की बाड़ बनी हुई है। संवत 2036 में बाढ़ आ जाने से पड़वे गिर गये एवं प्रार्थीगण के परिवार वाले कही ओर चले गए है तथा वर्तमान में पशुधन के चारा रखने का स्थान व निवास कच्चे छप्पर में किया जा रहा है तथा पड़वे बने हुए है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का तीन अलग अलग पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों को जारी किया गया है, जो पट्टा संख्या 95 वदामी देवी पत्नी बंशीलाल, पट्टा संख्या 96 गीता देवी पत्नी केसाराम जाति दर्जी एवं पट्टा संख्या 97 मंजुदेवी पत्नी हड़मानाराम के नाम जारी किए गए है। उक्त आलोच्य पट्टे को पंजीयन के वक्त फोटो चस्पा किये जो एक ही पड़वा के तीन फोटो बनाकर नजदीक व दूर से फोटो खीच कर एडिट कर संलग्न किये गये है। गांव के मौजिज पंचों द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का होने के संबंध में अवगत करवाया है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पिता/दादा मेजला वल्द उमा कौम राईका सिणली जागीर के वक्त सेटलमेंट से पूर्व के निवासी है, जिनके नाम से संवत 2012 से 2031 में खातेदारी भूमि खाता नंबर 126, 260, 270, 289 पर आई हुई है तथा प्रार्थी के काका सुरताराम पुत्र मेजला का विधान सभा निर्वाचन नामावली में 1966 में नाम क्रम संख्या 191 पर व सन 2009 क्रम संख्या 99 पर भोमाराम पुत्र मेजलाराम का नाम दर्ज है। भोमाराम के नाम से पारिवारिक जॉब कार्ड संख्या 1206 दिनांक 02.07.2009 का बना हुआ है। आधार कार्ड संख्या 530337183275 का सिणली जागरी के नाम से बना हुआ है। जिससे स्पष्ट है के प्रार्थीगण पुश्तैनी समय से राजस्व ग्राम सिणली जागीर में निवासी है तथा वादग्रस्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण का निरन्तर रूप से किया जा रहा है तथा वर्तमान में पशुधन के चराने के लिए सांभरानी तहसील भीनमाल, जिला जालौर में भी अस्थायी रूप से निवासरत है। ग्राम पंचायत सिणली जागरी के तत्कालीन सरपंच द्वारा पट्टा संख्या 95, 96, 97 गलत होने से खारीज करने हेतु पत्र जारी किया गया तथा ग्राम पंचायत सिणली जागीर के वार्ड पंच व सरपंच द्वारा भी वादगस्त भूखण्ड मेजलाजी के परिवार होतीराम,

जिला कलक्टर
बालोतरा

सुरताराम, भोमाराम, करनाराम, समदादेवी का होने से संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया। इससे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कालूडी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण के परिवार का होने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सिणली गांव के निवासी सांवलाराम, जालमसिंह, निम्बाराम, कालूराम, शंकरराम, मेघाराम, व अन्य ने अपने शपथ पत्र में भी उक्त आलोच्य भूखंड प्रार्थीगण के पैतृक का होने के संबंध में अवगत करवाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य भूखण्ड वक्त सेटलमेंट से वर्तमान तक प्राथीगण व उनके पिता/दादा मेजलाराम का है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जो आलोच्य पट्टा जारी करने में न तो मौके का गहराई से अवलोकन किया और न ही कानूनी प्रकिया का पालन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर गुप्त व फर्जी तरीके से उक्त आलोच्य पट्टा जारी करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल, अवैधानिक, अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिणली जागीर की पत्रावली में पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है, न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है तथा शुल्क जमा होने के संबंध में इंद्राज नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या 3 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड को पैतृक भूमि बताते हुए यह निगरानी पेश की गई है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टे से संबंधित पैतृक भूमि होने बाबत् कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पेश निगरानी में व आलोच्य पट्टा में नाप व पडौस में मिलान नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 सांबरानी, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर एवं अप्रार्थी संख्या 4 सांचौर के मूल निवासी है। आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार लेना देना नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जासुदा होना बताया, लेकिन इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा स्वामित्व की पुष्टि हेतु किसी भी प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त

जिला कलक्टर
बालोतरा

आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का है। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपने हकपूर्वाधिकारी मेजला वल्द उमा का वक्त सेटलमेंट गांव सिणली जागीर के रहने का कथन करते हुए दस्तावेजात पेश किये है, लेकिन प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी में मेजला वल्द उमाजी का वंश सजरा प्रस्तुत नहीं किया है एवं मेजला वल्द उमाजी का वंशज वर्तमान में जीवित सभी को पक्षकार पार्टी नहीं बनाया गया है। अगर उक्त आलोच्य भूखण्ड मेजला का होता तो मेजला के समस्त जीवित वंशज को पक्षकरान बनाते हुए उक्त नगरानी पेश करते। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज सिणली जागीर के निवासी होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उक्त आलोच्य पट्टे के भूखण्ड प्रार्थीगण के पुश्तैनी का ही है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा लंबे समय बाद बिना किसी आधार के निगरानी पेश की है, जो कि म्याद बाहर पेश की है। उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 नियम 157(1) के तहत विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर अप्रार्थी संख्या 3 के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार वीहिन एवं म्याद बाहर पेश होने से तथा प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 3 के पैतृक स्वामित्व का न होकर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का पैतृक भूखण्ड है तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर गुप्त व फर्जी तरीके से उक्त आलोच्य पट्टा जारी करवाया गया है। इस संबंध मे ग्राम पंचायत सिणली जागीर से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 3 ने दिनांक 05.07.2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत सिणली जागीर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई। जिसमें अप्रार्थी के पक्ष में नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। जिस पर दिनांक 06.03.2018 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का

जिला कलक्टर
जालोर

विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में पट्टा संख्या 96 दिनांक 06.03.2018 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खिलाफ पुलिस थाना जसोल में मुकदमा दर्ज करवाया गया तथा उक्त मुकदमें में पुलिस थाना जसोल की मौका फर्द में अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज के सिणली जागीर के मूल निवासी होने के संबंध में जमाबंदी, वोटर रसीद, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश किए है, उक्त दस्तावजो का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण सिणली जागीर के निवासी हो सकते है, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो सकता कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का ही है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने पूर्वज के परिवार के संबंध में भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण अपने पूर्वज मेजला जी के परिवार का है। साथ ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी तौर पर जारी करवाया गया है। जहां तक प्रार्थी का कथन है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पैतृक स्वामित्व व सामलाती का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थीगण की ओर से स्वामित्व की पुष्टि हेतु ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण यदि इस भूखण्ड पर अपना हक-अधिकार होना मानता है तो उसे सक्षम न्यायालय मे घोषणा का दावा प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

[illegible]
बालोतरा

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 03 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 97 दिनांक 06.03.2018 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा